न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–71 / 2013–14

ममता सिन्हा बनाम उमेश चन्द्र राय वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
19/6/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल खारिज अपील वाद सं0 21 / 2012–13 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के द्वारा दिनांक 20.09.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात विपक्षीगण को सामान्य नोटिस की गयी। विपक्षीगण के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में निबंधित नोटिस की गयी, परन्तु निबंधित नोटिस वापस लौट गयी। निबंधित नोटिस के वापस लौटने की स्थिति में दिनांक 10.01.2017 को समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करने का आदेश दिया गया। पुनः दिनांक 29.04.2017 को इस संबंध में आदेश देने के बाद भी आवेदिका के स्तर से समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करने की कार्रवाई नहीं की गयी। दिनांक 10.06.2017, 22.07.2017 एवं 16.05.2018 को आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता आज भी पुकार पर अनुपस्थित हैं। स्पष्ट है कि इस वाद के संचालन में प्रथम पक्ष को कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रथम पक्ष की उदासीनता एवं बार–बार पुकार पर अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई को चलाना संभव नहीं हो रहा है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 19/6/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता,पटना 19/6/18 (वज़ैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्त्ता,पटना	